सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 277 राँची, गुरुवार

10 वैशाख, 1937 (श०)

30 अप्रैल, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

28 अप्रैल, 2015

संख्या-5/आरोप-1-665/2014 का.-3897 -- श्री शिवेन्द्र प्रसाद सिन्हा, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक 534/03, गृह जिला- नवादा), उप विकास आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के अंचलाधिकारी, माण्डर, राँची के पद पर कार्यावधि से संबंधित प्रपत्र- 'क' में आरोप उपायुक्त, राँची के पत्रांक-3506, दिनांक 22 नवम्बर, 2005 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रपत्र- 'क' में निम्न आरोप लगाये गये है:-

(i) अंचल मुख्यालय में नहीं रहनाः- अंचल कार्यालय माण्डर के निरीक्षण के दौरान उपस्थित जनता एवं अन्य लोगों ने बताया कि अंचल अधिकारी अंचल मुख्यालय में आवासन नहीं करते हैं। निरीक्षण के दौरान उपस्थित अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, रांची द्वारा अंचल अधिकारी, माण्डर के अंचली मुख्यालय में नहीं रहने की पुष्टि की गयी ।

(ii) सूखाराहत अन्तर्गत तालाब योजनाओं का क्रियान्वयनः- सुखाराहत अन्तर्गत तालाब योजना संख्या-01/04-05 का अवलोकन किया गया। योजना की प्रगति अत्यन्त धीमी है। इस क्रम में सूखाराहत कोष योजनान्तर्गत क्रियान्वित अन्य तालाब योजनाओं के अभिलेख का अवलोकन किया गया

है। समय पर अंचल अधिकारी द्वारा आदेश पारित नही किया जा रहा है। इससे सूखाराहत कोष अन्तर्गत तालाब योजना निर्माण की स्थिति इस अंचल में अत्यन्त ही खराब है ।

(iii) सूखाराहत कोष योजनान्तर्गत क्रियान्वित तालाब योजनाओं में अनियमितताः- ग्राम बोबरो में सूखराहत कोष से खाता संख्या-71, खेसरा संख्या-257 पर तालाब की योजना, योजना संख्या 20/03-04 स्वीकृत की गई है एवं कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया। पुनः इसी खाता सं0-71 एवं खेसरा सं0-257 पर सूखा राहत कोष से तालाब की योजना सं0-3/04-05 स्वीकृत की गयी एवं अग्रिम का भुगतान कर कार्य कराया गया। एक खाता एवं खेसरा पर दो बार सूखाराहत कोष से 5 तालाब योजना की स्वीकृति प्रदान की गई एवं वर्ष 2003-2004 में स्वीकृत तालाब योजना को क्रियान्वित नहीं कराया जा सका ।

(iv) वृद्धा पेंशन राशि का विगत चार माह से वितरण नहीं किया जानाः-दिनांक 09 जून, 05 को माण्डर प्रखण्ड/अंचल के निरीक्षण के क्रम में अंचल के रोकड़ पंजी के अवलोकनोपरांत पाया गया कि वृद्धवस्था पेंशन मद में 12,40,000/- (बारह लाख चालीस हजार) रूपये वितरण हेतु लंबित है। इतनी अधिक राशि वितरण के लिए लंबित रहना श्री शिवेन्द्र प्रसाद सिन्हा, अंचल अधिकार माण्डर/श्री सोमामेठ उरांव अंचल निरीक्षक माण्डर का कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है ।

(v) पंजी-vii का संधारण निर्धारित प्रपत्र में नहीं किया जानाः- पंजी- vii में निर्धारित प्रपत्र में व्योरा अंकित नहीं किया गया है। आवेदन प्राप्ति की तिथि पंजी में अंकित नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त मामला कितने दिनों से लंबित है। प्राप्त आवेदन के विरूद्ध कितने मामले निष्पादित किए गए पंजी के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता है ।

(vi) अतिक्रमण पंजी का संधारण विधिवत ढंग से नहीं किया जानाः-अतिक्रमण पंजी में निर्धारित प्रपत्र में व्योरा अंकित नहीं है। किसी भी मामले में आवेदन प्राप्ति की तिथि अंकित नही किया गया है। ग्राम का नाम सभी मामले में अंकित नहीं है। श्री सिन्हा द्वारा इस तरह से आम जनता और वरीय पदाधिकारी को गुमराह करने का प्रयास किया गया है ।

(vii) सूखा राहत कोष अन्तर्गत निर्माणाधीन तालाब योजनाओं के धीमी प्रगतिः-मांडर प्रखण्ड में सूखाराहत कोष अन्तर्गत 35.96 लाख रूपये आंवटित किये गये थे। जिसके विरूद्ध 15 योजनाओं में स्वीकृति 12.80 लाख रूपये प्राक्कलित राशि पर दी गई है, जिसकी प्राक्कलित राशि 8.53 लाख रूपये है। 10 योजनाओं के विरूद्ध अभी तक 6 योजनाएँ पूर्ण करायी गई है। इस प्रकार मांडर प्रखण्ड अन्तर्गत क्रियान्वित तालाब योजनाओं की प्रगति अत्यंत ही धीमी है, जो अंचल अधिकारी के कार्य में अभिरूचि नही लेने एवं अपने निर्धारित कार्यक्रम के प्रति लापरवाही बरतने का द्योतक है ।

(viii) रोकड़पंजी अन्तर्गत अद्यतन नहीं करनाः-अंचल कार्यालय के सामान्य पंजी के अवलोकन करने से जानकारी हुई कि नाजिर के द्वारा दिनांक 13 मई, 05 से 19 जून, 05 तक रोकड़ पंजी में कोई इन्द्राज नही किया गया है। इस संबंध में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होने के नाते श्री सिन्हा की जिम्मेवारी बनती है कि प्रत्येक दिन वित्तीय नियमों के अनुरूप रोकड़ पंजी हस्ताक्षर की जाये। सामान्य

रोकड़ पंजी में Subsidiary Cash book की प्रविष्टियों के बारे में न तो नाजिर को जानकारी है न ही प्रधान सहायक को, न ही श्री सिन्हा को कोई जानकारी है। श्री सिन्हा का यह कृत्य वित्तीय नियमों की अवहेलना एवं सरकारी परिपत्रों के विरूद्ध कार्य करने का द्योतक है ।

(ix) दाखिल खारिज से संबंधित अभिलेखों में अनियमितताः-दाखिल खारिज से संबंधित अभिलेखों में निम्नलिखित अनियमितता हैः- (क) अभिलेख संख्या-83/R-27/2004-05 यह अभिलेख दिनांक 20 जुलाई, 04 को प्रारंभ किया गया है। किस तिथि को आगे उपस्थापित करना है इसका उल्लेख नहीं है। दिनांक 06 अगस्त, 04 को पुनः तिथि अंकित है परन्तु अभिलेख उपस्थापन की तिथि एवं अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर अंकित नहीं है। पुनः दूसरी तिथि उपस्थापन की तिथि एवं अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। दाखिल खारिज जाँच प्रतिवेदन हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक की अनुशंसा प्राप्त है, परन्तु अग्रतर कार्रवाई नही की गई है। अभिलेख विगत दस महीनों से लंबित है ।

(ख) 166/R-27/2004-05(Te-1/05-06) यह अभिलेख किस तिथि को प्रारंभ किया गया है तथा किस तिथि को उपस्थापित करना है, इसका उल्लेख नहीं है। आवेदन पत्र कब प्राप्त है, इस पर न तिथि अंकित है न प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर है, न अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर है ।

(ग) अभिलेख संख्या-163/R-27/2004-05 इस अभिलेख में दिनांक 07 मई, 05 को पारित आदेश अंचल निरीक्षक को अग्रेतर कार्रवाई हेतु Seen नहीं कराया गया है ।

(घ) अभिलेख संख्या-129/R-27/2004-05(TR4/R-27/2000-06, यह अभिलेख किस तिथि को प्रारंभ किया गया है, इसका उल्लेख आदेश पत्र में नही है, आवेदन पत्र कब प्राप्त है इस पर न तिथि अंकित है न ही प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर अंकित है और न ही अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर ।

2. उक्त आरापों के साथ उपायुक्त, राँची के द्वारा श्री सिन्हा का स्पष्टीकरण भी संलग्न किया गया, जिसे उपायुक्त, राँची द्वारा अस्वीकार किया गया। विभागीय पत्रांक-2781, दिनांक 01 जून, 2006 द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध प्राप्त आरोप एवं इनके स्पष्टीकरण पर मंतव्य की माँग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड से की गयी ।

3. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड द्वारा पत्रांक-927, दिनांक 30 मार्च, 2009 द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध आरोप तथा उनके स्पष्टीकरण पर आयुक्त, द0छो0 प्रमंडल, राँची से प्राप्त मंतव्य उपलब्ध कराया गया परन्तु विभागीय मंतव्य उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रमंडलीय आयुक्त, द0छो0 प्रमंडल, राँची ने अपने मंतव्य प्रतिवेदन में इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया। इसलिए विभागीय पत्रांक-3797, दिनांक 09 जून, 2009 द्वारा विभागीय मंतव्य से अवगत कराने हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड से अनुरोध किया गया ।

4. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड द्वारा पत्रांक-2432, दिनांक 16 जून, 2014 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें प्रमंडलीय आयुक्त, राँची के मंतव्य पर सहमति व्यक्त की गयी एवं श्री सिन्हा को भविष्य में अपने कार्य के प्रति सचेत रहने का निदेश दिया गया। समीक्षोपरान्त, श्री

सिन्हा के विरूद्ध वृद्धावस्था पेंशन के वितरण एवं सूखा राहत कोष अंतर्गत तालाब योजनाओं के निर्माण में शिथिलता बरतने संबंधी आरोप संख्या-4 एवं 7 को प्रमाणित पाया गया एवं इसके लिए विभागीय संकल्प संख्या-9952, दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 द्वारा श्री सिन्हा को **निन्दन का दण्ड दिया गया** ।

5. उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री सिन्हा के पत्रांक-2484, दिनांक 10 नवम्बर, 2014 द्वारा अपील अभ्यावदेन समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के मंतव्य प्रतिवेदन से सहमत होते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड द्वारा इन्हें भविष्य में अपने कार्य के प्रति सचेत रहने का निदेश दिया गया है। आयुक्त, द0छो0 प्रमंडल, राँची द्वारा अपने मंतव्य प्रतिवेदन में आरोप सं0-4 के प्रसंग में इन्हें चेतावनी दी गयी। आरोप सं0-7 के प्रसंग में योजना के अभिकर्ता के विरूद्ध कार्रवाई हेतु कहा गया है एवं इन्हें इसे सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिया गया। परन्तु इससे असहमत होते हुए निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया ।

6. श्री सिन्हा के विरूद्ध प्राप्त आरोप, इनका स्पष्टीकरण, आयुक्त, द0छो0 प्रमंडल, राँची के मंतव्य एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के मंतव्य तथा इनसे प्राप्त अपील अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि इस मामले में राजस्व की क्षति सन्निहित नहीं है। केवल कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में थोड़ा विलम्ब हुआ है। इसलिए निन्दन का दण्ड आरोप के सापेक्ष नहीं है ।

अतः श्री सिन्हा के अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए पूर्व में दिये गये निन्दन के दण्ड को विलोपित करते हुए इन्हें भविष्य के लिए सचेत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 277—50 ।